स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेषन प्राधिकरण (SARRA)
उत्तराखण्ड

धारा नौला संरक्षण समिति

परिचय

पिछले कुछ दशकों में राज्य में जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार सूख रहे जल स्रोतों की वजह से स्थानीय जनजीवन के लिये दिन-प्रतिदिन परिस्थितियां विषम होती जा रही हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों के उपचार हेतु स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेषन प्राधिकरण (SARRA) का गठन किया गया। SARRA का उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण कर, वैज्ञानिक तरीकों से वर्षा जल संग्रहण तकनीकों और चेकडैमों आदि के माध्यम से उपचार करना है और नदियों के पुनर्जीवन तथा जल स्रोतों में निरंतर प्रवाह के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस सम्बन्ध में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेषन प्राधिकरण (SARRA) द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित समिति को विस्तारित कर **'धारा नौला संरक्षण समिति'** के रुप में गठित किया जा रहा है।

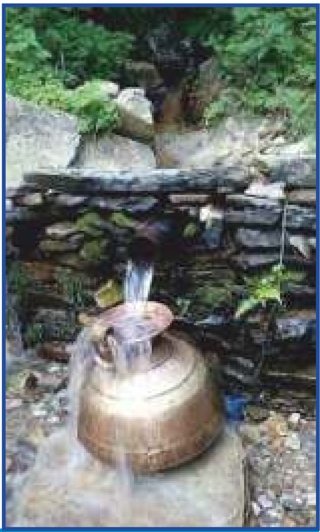

समिति के दायित्व

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में **'धारा नौला संरक्षण समिति'** गठित की जायेगी।

2. यह समिति धारा–नौला एवं नदियों के उपचार की आवश्यकता एवं इनके सतत् प्रबन्धन के सम्बन्ध में स्थानीय समुदाय को जागरुक कराने के लिए नियमित रुप से बैठकें और प्रशिक्षण आयोजित करायेगी।

3. यह समिति ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न धारा–नौला एवं नदियों के चिन्हीकरण, उपचार हेतु प्रथमिकता निर्धारण हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करेगी तथा कार्य योजनाओं के सम्बध में जिला स्तरीय समिति को संस्तुति/कार्य योजना की सिफारिश/अनुरोध करेगी।

4. यह समिति वर्षा जल संग्रहण तकनीकों के माध्यम से स्प्रिंग उपचार एवं नदियों के उपचार की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्थानीय समुदाय को जागरुक कराने के लिए नियमित रुप से बैठकों और प्रशिक्षणों का आयोजन करवाएगी।

5. ग्राम स्तर के विभिन्न जल स्रोतों पर समुदाय की निर्भरता तथा संवेदनशील जल स्रोतों के चिन्हीकरण एंव उपचार हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध विभिन्न योजनाओं व वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने का आवश्यक प्रयास करेगी।

6. यह समिति विभिन्न उपचार गतिविधियों के परियोजना क्रियान्वयन विभाग के ग्राम स्तरीय कार्मिकों को नियोजन एवं क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

7. गैर वन क्षेत्रों में यह समिति ग्राम वासियों की सक्रीय सहभागिता से सभी पुनरुद्धार सम्बन्धी कार्यों की देखरेख करेगी।

1- प्रधान, ग्राम पंचायत	**अध्यक्ष**
2- ग्राम पंचायत की जल संरक्षण एवं जैव विवधता उप समिति के अध्यक्ष	**सदस्य**
3- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/इस क्षेत्र में कार्य कर रही कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि	**सदस्य सचिव**
4- ग्राम पंचायत के सभी वर्ड सदस्य	**सदस्य**
5- सरपंच, वन पंचायत (वन पंचायत के क्षेत्रों में)	**सदस्य**
6- ग्राम पंचायत से स्वयं साहायता समूह की 02 महिला सदस्य	**सदस्य**
7- सम्बन्धित रेखीय विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिक-वन/पेयजल निगम/जल संस्थान/सिंचाई/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/जलागम/कृषि आदि	**सदस्य**

स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेषन प्राधिकरण (SARRA)

इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून

फोन : 0135-2768712, 0135-2760170

ईमेल : sarrauttarakhand@gmai.com

वेब : www.umduk.gov.in